

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर
पीठासीन अधिकारी :- श्री अनिल कुमार आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या -171/2024

प्रार्थीगण

1. देवाराम पुत्र जोधाराम
2. पेमाराम पुत्र वरसिंगाराम
3. राजुराम पुत्र वरसिंगाराम
4. लादुराम पुत्र जोधाराम
5. शेरू पुत्र मोहनराम
6. सुरताराम पुत्र जोधाराम जाति
विश्वनोई निवासी गंगाला तहसील
रामसर।



उनवान


विप्रार्थीगण

- 1 श्री पुरखाराम पुत्र लाधाराम
- 2 दीपसिंह पुत्र सगतसिंह
- 3 सवाईसिंह पुत्र परबतसिंह
- 4 सतीदानसिंह पुत्र दीपसिंह
- 5 अणदसिंह पुत्र डुगरसिंह
- 6 करनसिंह पुत्र कमलसिंह
- 7 स्वरूपसिंह पुत्र छुगसिंह
- 8 रामाराम पुत्र बांकाराम
- 9 अलानां पुत्र छुटा
- 10 सरीफा पुत्र धनीना
- 11 कुरबान पुत्र करमाली
- 12 जलाल पुत्र सदीक
- 13 जलाल पुत्र सदीक
- 14 मुमताज पुत्र मोहम्मद अली नाबालिग वली जरिये श्रीमती
कुरामत पत्नि मोहम्मद अली
- 15 तहसीलदार रामसर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते नेखमबंदी
आवेदन संख्या :-171/2024 दिनांक :-21/11/2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 16.10.2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा गंगाला पटवार हल्का गंगाला के खसरा संख्या 561/193 रकबा 16. 1874 हेक्टर उनके खाते की कृषि भूमि अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विप्रार्थीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण विप्रार्थीगण के मध्य आराजियात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिससे कि प्रार्थीगण अपने खेत की कृषि भूमि की नेखमबंदी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया सम्मन तामिली के बावजूद प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही अम में लाई गयी। जवाब का अवसर बंद किया गया।

प्रकरण के अवलोकन में यह तथ्य प्रमाणित है कि विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी कृषि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खेत की कृषि भूमि की नेखमबंदी करवाने हकदार है। अन्य विप्रार्थीगण को सम्मन रजिस्टर्ड जारी होने बावजूद उपस्थित नहीं एवं जवाब प्राप्त अतः प्रार्थना पत्र न्यायाहित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। एक पक्षीय बहस सुनी गई।


उपखण्ड अधिकारी
रामसर


प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरुद्ध विप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर मौजा मौजा मौजा गंगाला पटवार हल्का गंगाला के खसरा संख्या 561/193 रकबा 16. 1874 हेक्टर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार रामसर को 1000/- अक्षरे रुपये एक हजार रुपये मात्र पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार रामसर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उपरोक्त आराजियात में किसी न्यायालय में स्थगन एवं मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में नेखमबंदी की कार्यवाही नहीं की जावे। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों/अधिसूचनाओं में दिये गये दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए, मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर नेखमबंदी की कार्यवाही की जावे तथा उक्त प्रकरण में दर्ज सभी प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण को लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में उक्त खसरे के पक्के नेखम स्थापित करें। कमिश्नर शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। आवश्यकतानुसार तहसीलदार रामसर को संबंधित पुलिस थाने से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।


उपरोक्तानुसार नेखमबंदी की समयबद्ध पालना की जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें। यह आदेश आज दिनांक 21.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।



कमांक: सीडर/2024/ 3648-51
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रामसर को भेजकर लेख है कि प्रकरण में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही कर 15 दिवस में पालना से न्यायालय को अवगत करावें।
2. थानाधिकारी रामसर।
3. प्रार्थी श्री देवाराम पुत्र जोधाराम वगोराह।
4. विप्रार्थीगण श्री श्री पुरखाराम पुत्र लाधाराम वगोराह।


(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी रामसर
दिनांक 21.11.2024


उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी 21/11/24
रामसर